द्वारा ईमेल/फैक्स।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्याः पाँच-470(वरि० पदो०)2022 (स्थानापन्न) दिनांकः जून30, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से प्राप्त संस्तुति के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-5 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये प्रकरणों के निस्तारण हेतु आरक्षित की गयी रिक्ति के समक्ष काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण जो भी पहले हो, तक के लिये निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को इस शर्त के साथ निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की जाती है कि निरीक्षक नागरिक पुलिस पद की रिक्ति उपलब्ध न होने पर उन्हें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। स्थानापन्न रूप से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर की गयी इस प्रोन्नति के आधार पर इन्हे नियमित पदोन्नति प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होगा, एवं **यह आदेश दिनांकः 01-07-2023 से प्रभावी होगा :-**

क्र० सं०	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	960650459	कृष्णचन्द्र मिश्रा	राधेश्याम मिश्र	18.10.1977	कमिश्नरेट लखनऊ	2022 स्थानापन्न
2	972650672	हरीश कुमार	श्री जगवीर सिंह	16.08.1977	बिजनौर	2022 स्थानापन्न
3	960610107	श्री मान चन्द्र	श्री देशराज सिंह	10.03.1974	बिजनौर	2022 स्थानापन्न
4	952220163	विजय प्रताप सिंह	श्री जय प्रकाश सिंह	24-05-1976	आजमगढ	2022 स्थानापन्न
5	872650062	राजवीर सिंह	शिव सहाय	05.01.1967	मेरठ	2022 स्थानापन्न
6	920620845	विनेश कुमार सिंह	श्री शिशुपाल सिंह	03-05-1972	गाजियाबाद	2022 स्थानापन्न
7	920500329	राधेश्याम यादव	श्री खदेरू यादव	15.12.1972	बहराइच	2022 स्थानापन्न
8	942466605	अखिलेश कुमार सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	30-07-1974	बाराबंकी	2022 स्थानापन्न

2- उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध अथवा आगामी चयन वर्ष या सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के मुहरबन्द लिफाफा के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो तक के लिये ही होगी। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगें।

3- सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के मुहरबन्द लिफाफा के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कार्मिकों को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4- स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलितखत 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप (क)

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

20.06.23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर एवं लखनऊ।
4- पुलिस महानिरीक्षक, बरेली, मेरठ, देवीपाटन एवं लखनऊ।
3- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर, आजमगढ, मेरठ, बहराइच, एवं बाराबंकी।
4- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,------------------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ---------------निवासी--------------------थाना------------जनपद--------------- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)----------------------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ किः–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगाः–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ------

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉकः----------- को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------- धारा--------------थाना ----------- जनपद-----------में लम्बित है, जिसमें दिनॉकः------------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी------------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर